37

VENKATESWARLU): (a) to (d) The facilities to be provided in the Counter Magnet Cities under the NCR Plan essentially relate to the developn:ient of infrastructure for shelter, environmental improvement and economic

To wards this the State Governments required to finalise a development plan comprising a list of projects as well plans. as the annual action Α development fund' is constituted for each of the counter magnet cities for undertaking the projects under the development plans through long term loans provided by the NCR Planning Board with matching share from the State Govenmients. This is in addition to the normal developmental activities undertaken by the State Governments through their own budgetary resources.

As the contribution by the NCR Planning Board to the Development Fund is dependent upon the requirements projected by the States for the cities incorporated in the plan which are vetted and approved by the Project Sanctioning Committees, the progress of the implementation of ongoing projects and the matching share provided by the State Government, no ceiling/time limit has been prescribed on city basis.

So far, the amount released towards the development fvnd of the Counter Magnet Cities by the NCR Planning Board is as under

Rupees

in crores

(i)	Bareilly (Ut	tar Pradesh)		4.0			
(si)	Kota (Rajas		2.0				
(iii)	Patiala (Pur		1-0				
(iv)	Gwalior	(Madhya	Pradesh)	10			
(v)	Hissar (Har	yana)		NIL			
अभीण विकास तथा रोजनार संबंधी खेजनाओं की							

ŝ समीका

⁹135. औ राम जेठमलानी: क्या प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वह सब है कि ग्रामीन विकास और रेजगर संबंधी चल रही विभिन्न बोजनाओं के क्रियन्वकर

में खारियों के कारण सरकार इन योजनाओं की व्यापक समीक्षा करने का विचार रखती है:

to Questions

- (ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी खामियां पाई गई है: और
- (ग) इन खामियों को कब तक दर किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री वाई॰ के॰ नायड्) :(क) से (प) समन्त्रित प्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा सनिश्चित रोजगार योजना प्रमुख बामीण रोजगार कार्यक्रम है, जिन्हें विभिन्न एज्यों के प्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इन कार्यक्रमों के क्रियान्थयन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में, इन कार्यक्रमों की समीक्षा करने राचा उनके क्रियान्वयन में सधार लाने हेत् सङ्गाव देने के लिए कुछ समय पूर्व विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था। आई॰ आर॰ डी॰ पी॰ संबंधी डी॰ आर॰ मेहता समिति की सिपनरिज्ञों के आधार पर आई॰ आर॰ डी॰ पै॰ के क्रियान्ययन में उपयुक्त संशोधन किए गए तथा कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए कई प्रयास भी किए गए। इसके अन्तर्गत प्रति परिवार निवेश को बढ़ाने, ऋग का लक्ष्य निर्धारित करने, ढांचागत विकास के लिए आबंटन में कृद्धि करने, सामृहिक गतिविधियों को प्रोत्सहन देने तथा शिक्षित बेरोजगार व्याओं के लिए लामार्थियों की नई श्रेणी का पता लगाने संबंधी कदम शतमिल है। सधार के लिए किए गए अन्य उपार्वों में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में बदली परिस्वितयों के अनुकूल डी-अहर-डी-ए॰ का पुनर्गठन, क्षापार्थियों का पता लगाने और जयन करने में आप सफा की बड़ी हुई भागीदारी, गरीकी की रेखा से नीचे बसर करने वाले समस्त परिवारों को आई॰आर॰डी॰पी॰ के अन्तर्गत सहावता प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए सीमा रखा (पूर्व में 8500 रूपये पर निर्धारित) को सम्प्रप्त करना तथा 213 जिल्हें तक परिवार ऋण मेजनाओं को फैलाना शामिल है।

प्रामीण रोजनार कार्यक्रमों का प्रार्गठन करने संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर, जवाहर रोजगार केवन उथा सनिवित रोजनार बोजना के जम रोजनार कार्यक्रमों के क्रिकाश्वयन में भी संस्थानक परिवर्तन किए गए थे। तद्वकूष, नीचे बताए अनुसार सरकार ने 1.1.96 से अम वेजकर कार्यक्रमों को क्रिशन्वित करने का निर्णव लिखा है:

39

- (1) ईदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना, जो कि प्रतिशतता के आधार पर निधियों के आबंटन के साथ जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण) की उप योजनाएं थीं को इससे अलग कर स्वयं में ही स्वतंत्र योजनाएं बना दी गई है।
- (2) अवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण) का शेष भाग, जिसमें डी॰आर॰डी॰ए॰ (20 प्रतशत) और पंचायतों (डै0 प्रतिशत) का हिस्सा शामिल है, पूर्व के समान ही जारी रहेगा।
- (3) नवीन प्रकृति की प्रायोगिक परियोजना को चलाने हेतु नवीन जवाहर रोजगार योजना (तृतीय चरण) की जे॰आर॰वाई॰ की निधियों के 5 प्रतिशत अंश अथवा अधिकतम 75 करोड़ रुपये समरूप निर्धारण के साथ जारी रखा जाएगा।
- (4) प्रामीण आवास योजना को ईदिए आवास योजना के साथ मिला दिया गया है और एक साथ समामेलित दोनों योजनाओं को अब ईदिए आवास योजना के रूप में जाना जाएगा।
- (5) जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण अर्थात् गहन जवाहर रोजगार योजना को 1.1.1996 से सुनिश्चित रोजगार योजना के साथ मिला दिवा गया है तथा इस योजना को पूर्व गहन जवाहर रोजगार योजना के 120 जिलों के उन समस्त शेष ब्लाकों में विस्तारित कर दिया गया है, जहां सुनिश्चित रोजगार योजना नहीं है।

उपर्युक्त विवरण में यह देखा जा सकता है कि सरकार कमियों को दूर करने तथा कार्यक्रमों को अत्यन्त प्रमावी बनाने के लिए समय-समय पर हर संभव कदम उठाती रही है।

कच्चे पेट्रेलियम और पेट्रेलियम उत्पादों का आयात

- *136. भ्री गोपाल सिंह जी॰ सोंलकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वित्तीय वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानतः कितनी मात्रा में आबात किया जाएगा;
- (ख) आयात किए जाने वाले कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित लागत डालर और रुपये में कितनी कितनी है:
- (ग) इन उत्पादों का लम्बी अवधि के ठेके के अंतर्गत कितनी मात्रा में आकात किया गया और खुले बाजार से कितनी मात्रा में खरीदा गया; और

(घ) अप्रैल से दिसम्बर, 1995 के बीच किए गए आयात के आधार पर उक्त क्बों के दौरान सभी स्रोतों से आयातित कच्चे तेल की औसत परिवहन लागत झलर और रुपये में कितनी-कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) और (ख) वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और लागत निप्नानुसार है:

> (1995-96) (अनन्तिम)

पीओ एल	मात्रा एम एम टी	मूल्य करोड़ रुपये	मिलियन अमेरिकी डालर
कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन	47.677	24095	7101.8

1996-97 के तेल अर्थ बज्रट के अनुसार वर्ष के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा 49.276 एम एम टी होने का अनुमान है जिसकी अनुमानित लागत 7590.5 मिलियन अमेरीकी डालर है।

(ग) दीर्घावधि संविदा के अंतर्गत किए गए आयात और खुले बाजार से की गई खरीद निम्नानुसार है:— मात्रा एम एम टी में (अनन्तिम)

1995-96		अप्रैल-जून, 1996	
निषंधन के अंतर्गत	खुले क जार से	निबंधन के खुले अंतर्गत	भाजार से
क्रूड और पेट्रोलयम वस्पाद 27.665	20.042	7.596	5.982

(घ) नाइजीरियाई/आस्ट्रेलियाई ग्रेडॉ जिनकी क्ष्मवस्था सी एंड एफ आधार पर की जाती है, के अतिरिक्त कच्चे तेल के आयातों की व्यवस्था केवल एफ ओ भी आधार पर की जाती है। सी एंड एफ आयातों में लगत और भाड़ा अवयव संयुक्त आधार पर सम्मिलित होते हैं और इसीलिए माल-भाड़ा अवयव अलग से उपलब्ध नहीं है।